प्रेस नोट- थाना जैतीपुर

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

जनपद- शाहजहाँपुर

<u>सराहनीय कार्य दिनांक - 18/10/2025</u>

“थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब (20 पेटी शराब बन्टी और बबली मार्का) सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित एवं वारंटी, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर महोदया के पर्यवेक्षण में थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 17.10.25 को प्रभारी निरीक्षक जैतीपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बण्डिया खुर्द से नवादा मोड जाने वाले मार्ग पर समय करीब 15.21 बजे 01 नफर **<u>अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र गजेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मुण्डिया खेडा, थाना गढिया रंगीन, जनपद शाहजहाँपुर</u>** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 20 पेटी शराब बन्टी और बबली मार्का बरामद हुए। अभियुक्त सतेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

सतेन्द्र पुत्र गजेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मुण्डिया खेडा थाना गढिया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान-</u>

दिनांक 17.10.2025, समय 15.21 , स्थान- बण्डिया खुर्द से नवादा मोड जाने वाले मार्ग पर

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0सं0 229/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी का विवरण -</u>

(1). 20 पेटी देशी शराब बन्टी और बबली मार्का

(2). एक सीज शुदा गाडी सफेद बुलेरो अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

(1). उ0नि0 श्री रामू आर्या, थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

(2). का0 2663 विपिन कुमार, थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर

(3). का0 2570 गौरव शर्मा, थाना जैतीपुर जिला शाहजहाँपुर